न्यायालय : श्री डी0एल0 कटकवार सत्र न्यायाधीश कोरबा छ0ग0, द्वारा जमानत आवेदन पत्र कं. 341/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2022 की प्रतिलिपि :–

सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद, उम्र 32 वर्ष, पिता स्व0 पिताम्बर लाल निषाद, निवासी–पोंड़ीबहार, वार्ड नं0–29, चौकी रामपुर, कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ0ग0)

– **आवेदक/अभियुक्त**

–:: विरूद्ध ::–

छ.ग. शासन द्वारा
पुलिस चौकी रामपुर
जिला कोरबा (छ.ग.)

–अनावेदक/अभियोगी

07.10.2022

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय अवकाश पर है। अत : प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

इस आदेश के द्वारा जमानत प्रकरण क्रमांक 341/2022 का निराकरण किया जा रहा है।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री रामकुमार मौर्य उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री जी0एल0 चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय का अपराध क्रमांक **0/2022** शासन विरूद्ध सुरेश धीवर अंतर्गत धारा 34 (1), 34 (2), 59(क) छ0ग0 आबकारी अधिनियम से संबंधित रिमाण्ड प्रपत्र एवं चौकी रामपुर थाना कोतवाली के

अपराध क्रमांक **922/2022** की केस डायरी जमानत विरोध पत्र सहित प्राप्त।

प्रकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों का तर्क श्रवण किया गया।

आवेदन पत्र एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस चौकी रामपुर कोरबा के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 59(क) का अपराध पंजीबद्व कर दिनांक 01.10.2022 को गिरफ्तार कर आवेदक/अभियुक्त को जिला जेल कोरबा में निरूद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त 32 वर्षीय युवक है तथा मजदूरी का कार्य करता है। आवेदक/अभियुक्त परिवार वाला है, उसके छोटे–छोटे बच्चे है। आवेदक/अभियुक्त पोड़ीबहार कोरबा तहसील व जिला कोरबा छ0ग0 में निवास करता है, जिसे जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके अन्यत्र भाग जाने या फरार हो जाने की संभावना नहीं है। प्रकरण में विवेचना व विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक/अभियुक्त के आदतन अपराधियों के संपर्क में जेल में निरूद्ध रहने से उसके मनः स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। आवेदक/ अभियुक्त माननीय न्यायालय के समस्त आदेश एवं शर्तो का पालन करने को तत्पर है। अतः

अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन के समर्थन में **आवेदक/अभियुक्त** की ओर से उसकी **मॉ श्रीमती मीना निषाद** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है जिसमें जमानत का प्रथम आवेदन होना और इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में न ही पूर्व में निराकृत होना और न ही वर्तमान में लंबित होने का उल्लेख है।

अभियोजन की ओर उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा अपराध की गंभीरता एवं अजामनतीय प्रकृति का होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त **सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद** की संलिप्तता प्रथम दृष्टया छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा–34(1), 34(2), 59(क) के अपराध में दर्शित होती है। चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर **एक नग पारदर्शी प्लास्टिक चाकलेट के डिब्बा में कच्ची महुआ शराब करीब 6 लीटर कीमती 900/– रूपये** सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद से पोड़ी बहार यादव चाल से आरोपी द्वारा अपने कब्जे में रखना पाये जाने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

<u>माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा छ0ग0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 59 ए (2) के परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत बंटी सिंह विरूद्ध छ0ग0 राज्य एम सी आर सी नंबर 6846/2014 आदेश दिनांक 05.01.2015</u> में दिशा निर्देश दिये गये है।

छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा 59–क (2) के अनुसार जहां कोई व्यक्ति छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में आरोपी है और **<u>जप्तशुदा मदिरा की मात्रा 5 लीटर से अधिक है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा नही किया जायेगा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नही है और यह कि जब वह जमानत पर होगा तब यह संभावना नही है कि वह कोई अपराध करेगा।</u>**

चौकी रामपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के समुचित कारण की जॉच करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी)(2) के पालनार्थ चेक लिस्ट में यह कारण दर्शित नहीं किया गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने का समुचित कारण है। चेक लिस्ट प्रारूप के रूप में संलग्न है। विवेचक के द्वारा चेक लिस्ट में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी)(2) से संबंधित कोई कारण विद्यमान हो, ऐसा नहीं दर्शाया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत **अरनेश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार (2014)**

8 एस0सी0सी0 2733 में यह स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है कि –

> Our endeavour in this judgement is to ensure that police officers do not arrest the accused unnecessarily and Magistrate do not authorise detention casually and mechanically. In order to ensure what we have observed above, we give the following directions.
>
> 11.2 - All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii)
>
> 11.3 - The police officer shall forwared the check list duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/ producing the accused before the Magistrate for further detention.
>
> 11.6 - Notice of appearance in terms of Section 41-A CrPC be

served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of police of the district for the reasons to be recorded in writing.

11.7 - Failure to comply with the direction aforesaid shall apat from rendering the police officers concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before the High Court having territorial jurisdiction.

उक्त न्याय दृष्टांत का अवलंब लेते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **सत्येन्द्र कुमार अनटिल विरूद्ध सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन और अन्य एस0एल0पी0(सी0आर0एल0) नं0 5191/2021 में** यह अवधारित किया है कि–

" The Courts will have to satisfy themselves the compliance of Section 41, 41 A of Code of Criminal procedure, 1973. Any

non-compliance would entitle the accused for the grant of bail". (As per para No. 73 'C' of the judgement)

अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 59(क) के तहत तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान अधिनियम में उल्लेखित है। अतः विवेचना अधिकारी को अनिवार्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिये था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(बी)(2) में यह प्रावधानित है कि –

(ii) पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है –

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे और किसी अपराध को कारित करने से निवारित करने के लिये या

(ख) अपराध के उचित अन्वेषण के लिये या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़–छाड़ करने से निवारित करने के लिये या

(घ) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकी देने या वायदा करने से निवारित करने के लिये ताकि ऐसा व्यक्ति ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करे या

(ड) क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसकी न्यायालय में उपस्थिति जब कभी भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

विवेचना अधिकारी/थाना प्रभारी के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को अभिरक्षा में निरूद्ध रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त **सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद** को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त **सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 **स्वीकार** किया जाता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **सुरेश धीवर उर्फ सूरज निषाद** के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन **15,000/- (पंद्रह हजार) रूपये** का सक्षम जमानत एवं

उतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसे **Cr.M.P. No. 62 of 2018 (ved Prakash Gupta @ Gudda VS. State of Chhattisgarh)** में दिनांक 01.02.2018 को पारित निर्देशों के अनुसार अभियुक्त की जमानत स्वीकार होने पर अभियुक्त के द्वारा जमानत मुचलका की तस्दीक हेतु जमानतदार के जमानत से संबंधित पट्टा, आधार कार्ड तथा अभियुक्त का आधार कार्ड की जॉच सक्षम अधिकारी से 4 सप्ताह के भीतर करवाई जायेगी। इस दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया सत्यता की संतुष्टि के उपरांत अभियुक्त की रिहाई हेतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रावधिक रिहाई आदेश जारी किया जावेगा और जॉच में फर्जी पाये जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया जावेगा, जमानत पर छोड़ा जावे।

शर्ते :-

1. अभियुक्त पुलिस विवेचना एवं पूछताछ में सहयोग करेगा।

2. विचारण के दौरान वह नियमित रूप से प्रत्येक पेशी में न्यायालय में उपस्थित होगा।

3. प्रकरण के तथ्यों की जानकारी रखने वालों को उन तथ्यों को विवेचना के दौरान पुलिस के समक्ष एवं विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश न करने के लिए गवाहों को कोई धमकी, वचन या उत्प्रेरणा नहीं देगा।

4. अभियुक्त प्रकरण के शीघ्र व निष्पक्ष निराकरण में कोई बाधा नही पहुंचायेगा। फरार नहीं होगा।

5. अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नही की जायेगी। अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने पर जमानत निरस्त की जावेगी।

आदेश की प्रति के साथ रिमाण्ड प्रपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा को प्रेषित किया जावे।

आदेश की प्रति के साथ चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा को केस डायरी प्रेषित किया जावे।

आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि संबंधित विवेचना अधिकारी/थाना प्रभारी के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उचित कार्यवाही करे।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि के अंतर्गत अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही/-
(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी)
कोरबा (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा को आदेश की प्रति के साथ संलग्न कर रिमाण्ड प्रपत्र प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा को आदेश की एक प्रति पालनार्थ प्रेषित।

3. चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा को केस डायरी के साथ आदेश की प्रति प्रेषित की जावे।

(श्रीमती ज्योति अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी)
कोरबा(छ.ग.)